<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।</u>

जे० ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

CNR NOUPBH010034672026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1224/12A/2026

1–उमेश कुमार यादव आयु 42 वर्ष पुत्र स्व० मंगल
2–रामू यादव आयु 30 वर्ष पुत्र स्व० मंगल
3–श्यामू यादव आयु 35 वर्ष पुत्र स्व० मंगल
निवासीगण ग्राम अहिरन मुड़िया दा० भिलोरा काजी, थाना फखरपुर, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–278/2019
धारा–323, 504 भा०द०सं० व
धारा 3(1)(द) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना–फखरपुर, जनपद बहराइच।

<u>19.06.2026</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण उमेश कुमार यादव, रामू यादव व श्यामू यादव पुत्रगण स्व० मंगल, निवासीगण ग्राम अहिरन मुड़िया दा० भिलोरा काजी, थाना फखरपुर, जनपद बहराइच की ओर से विशेष दाण्डिक वाद संख्या 325/2019, अपराध संख्या 278/2019 धारा–323, 504 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–फखरपुर, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादी मुकदमा पर तामील है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण जमानत देने को तैयार है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2019 को विपक्षीगण ने प्रार्थी के भाई जोगी का ट्रैक्टर रोक लिया था और ड्राइवर से गाली गलोज कर रहे थे। प्रार्थी बीच बचाव करने गया तो विपक्षी समय करीब 04 बजे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लात मुका थप्पड़ से मारने लगे। शोर पर उसकी पुत्री मीनू दौड़कर आयी तो विपक्षी उसे भी मारा पीटा।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रधानी चुनाव के रंजिशन गांव की पार्टीबन्दी के कारण नाजायज, फर्जी व झूठे तथ्यों को दर्शाकर फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो घटना दर्शायी गयी है ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम पर है। उक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारने पीटने, अपमानित का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम पर है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया हो।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–25,000/–(पचीस हजार) रूपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्तगण आरोप एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस०(धारा 313 द०प्र०सं०) के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।

2– अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा, धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेगे।

3– अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।

दिनांकः 19.06.2026